

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/09

दिनांक : 01/01/2025

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची में छात्र/छात्रा के स्वयं के प्रर्थानुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

क्र. सं.	आदेश क्रमांक व क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	संशोधन
1.	आदेश क्रमांक 683 दिनांक 20.12.2024 क्रम संख्या 5	डॉ. पूनम चौधरी पुत्री श्री चन्द्र पाल	प्रशिक्षण केन्द्र पीएमओ, श्रीगंगानगर के स्थान पर पीएमओ, अनूपगढ़ पढ़ा जावें।

शेष यथावत्।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/09

दिनांक : 01/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा/ बीकानेर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।